(23)

संख्याः– 1478/XIV–1/2011–5(19)/2010

प्रेषक,

आर0सी0पाठक,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियॉ,
उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभागः–1 देहरादूनः दिनॉक 05 सितम्बर 2011

विषयः– **सहकारी सहभागिता योजना के अन्तर्गत सामान्य कृषकों, लघु एवं सीमान्त तथा बी0पी0एल0 परिवारों को सहकारी बैंकों/संस्थाओं द्वारा कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाना।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 586/नियो0/सहभागिता/2011–12 दिनांक 05 मई,. 2011, पत्र संख्याः–2961/नियो0/सहभागिता/2011–12 दिनांक 08 अगस्त, 2011 तथा नाबार्ड के परिपत्र संख्याः–एनबी/56/पीसीडी–01/2011 दिनांक 01 अप्रैल, 2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्याः–519/*XIV*-1/2008 दिनांक 22 अगस्त, 2008, जिसके द्वारा सहकारी सहभागिता योजना दिनांक 31 मार्च, 2011 तक के लिये स्वीकृत की गयी थी, को दिनांक 01 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक (एक वर्ष का) अवधि विस्तार दिये जाने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त योजना चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में पूर्व की भांति यथावत लागू रहेगी तथा योजना हेतु निर्धारित शर्तें पूर्ववत रहेंगी। शासनादेश दिनांक 22 अगस्त, 2008 द्वारा स्वीकृत योजना के मानकों के अनुरूप चालू वित्तीय वर्ष में दिनांक 01 अप्रैल, 2011 से स्वीकृत सहकारी ऋणों को प्रश्नगत योजना से आच्छादित समझा जायेगा।

3– सहकारी ऋणों में राज्य सरकार व भारत सरकार से नियमानुसार अनुमन्य अनुदान की मांग निबन्धक सहकारी समितियॉ द्वारा प्रत्येक त्रैमास में वितरित किये गये ऋणों के सापेक्ष क्रमश राज्य सरकार व भारत सरकार से की जायेगी।

यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

/

(आर0सी0 पाठक)
सचिव।

संख्याः–1478 (1)/XIV–1/2011, तद्दिनांक,

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. प्रभारी अपर निबन्धक,सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
6. समस्त सचिव/महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैकं लि0, उत्तराखण्ड।
7. मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, प्लाट न0 सी0–24, ब्लाक जी, पोस्ट वेग न0 8121 बांद्रा कुर्ला काम्पलेक्स, मुम्बई (51)।
8. निदेशक,एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड।
9. वित्त/नियोजन विभाग,उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
उपसचिव।